राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।

प.3( )आकृ/अंक मिलान/2021–22/5098-5248 दिनांकः– 25-10-2021

समस्त आहरण एवं वितरण
अधिकारी, कृषि विभाग।

विषयः– आय एवं व्यय के आंकडों का कार्यालय स्तर से अंक मिलान के संबंध में।

प्रसंगः– आयुक्तालय के परिपत्र कमांक 1090–1314 दिनांक 18.06.2021।

एकीकृत वित्तीय प्रबंन्धन प्रणाली के अन्तर्गत आय एवं व्यय के आंकडों की शुद्वता सुनिश्चित कर इसे और अधिक प्रभावी बनाने एवं महालेखाकार कार्यालय तथा कोष कार्यालयों के लेखों में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किएं जाने वाले अंक मिलान कार्य को ऑनलाइन करने की व्यवस्था विकसित की गई हैं। इस हेतु वित्त (अर्थिक मामलात) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक एफ.5(थ–75)/DTA/IFMS /अंकमिलान/2018/1956–2205 दिनांक 09.07.2019 एवं 801–1025 दिनांक 15.05.2020 एवं विभागीय परिपत्र कमांक 5716–916 दिनांक 05.01.2021 द्वारा ऑनलाइन अंक मिलान प्रकिया से संबंधित दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में आयुक्तालय के परिपत्र कमांक 1090–1314 दिनांक 18.06.2021 द्वारा समस्त कार्यालयाध्य/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि वे प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्वयं के कार्यालय का IFMS/पे मैनेजर/बजट कन्ट्रोल रजिस्टर/राजकोष पर व्यय का ऑफ लाइन मिलान कर यह सुनिश्चित करेगें कि उनके द्वारा किया गया व्यय राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात (60:40) एवं बजट आवंटन के अनुरूप ही किया गया हैं। अगर IFMS/पे मैनेजर/बजट कन्ट्रोल रजिस्टर/राजकोष पर व्यय में हुए व्यय में कोई विसंगति उत्पन्न होती हैं तो कार्यालय द्वारा GA–10 में स्थानान्तरण प्रविष्ठि तैयार कर खण्डीय कार्यालय में कार्यरत लेखाकर्मी की टिप्पणी सहित निश्चित समयावधि में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करे, परन्तु आप द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जा रही हैं जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता हैं।

अतः पुनः अवगत कराया जाता हैं कि पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए प्रत्येक माह में कार्यालय के स्तर पर अंक मिलान करने पर यदि व्यय में कोई विसंगति/त्रुटि नहीं पाई जाती हैं तो कार्यालय द्वारा खण्डीय कार्यालय को निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि आयुक्तालय स्तर पर वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार अंक मिलान कार्य किया जा सके।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि कार्यालय ....माह................का IFMS/पे मैनेजर/बजट कन्ट्रोल रजिस्टर/राजकोष का मिलान करने पर कोई विसंगति/त्रुटि नहीं पाई गई हैं एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात (60:40) एवं बजट आवंटन के अनुरूप ही किया गया हैं।

उपरोक्त के साथ–साथ राज्य सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावें।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार कृषि

प.3( )आकृ/अंक मिलान/2021–22/ 5098-5248 दिनांकः– 25-10-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड में कार्यारत सहायक लेखाधिकारी प्रथम को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त के संबंध में खण्ड के अधिन समस्त कार्यालयों/आहरण वितरण अधिकारियों को उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करावें एवं उनके द्वारा किया गया व्यय निर्धारित अनुपात में व्यय किया गया हैं एवं उनके कार्यालय के द्वारा कोई Rejected Transaction नहीं हुआ हैं। अधिनस्थ कार्यालयों से प्रत्येक माह इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाना सुनिश्चित करावे एवं प्रत्येक माह की 15 तारीख तक संकलित कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाया जाना सुनिश्चित करवें।
2. ए.सी.पी., मुख्यालय,जयपुर को कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार कृषि